उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-32/2021/2431/92-2-2021-50जांच/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 30 जुलाई 2021

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ में वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान कराये गये निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जॉच आख्या दिनांक 06-06-2019 में परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1624/92-2-2019-50जांच/2017 दिनांक 23-07-2019 द्वारा श्री चन्द्रवीर, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति प्रखण्ड-बरेली के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता,(पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था।

2- शासन के पत्र दिनांक 30-08-2019 द्वारा श्री चन्द्रवीर, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति प्रखण्ड-प्रतापगढ के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र संख्या-1909/92-2-2019-50जांच/2017 दिनांक 29-08-2019 जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करते हुये नियमानुसार जॉच कार्यवाही पूर्ण करते हुये निर्धारित समयावधि में जॉच आख्या शासन में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जॉच अधिकारी द्वारा नियमानुसार जॉच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जॉच आख्याशासन में अपने पत्र सं0-1277/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-चन्द्रवीर/एस0टी0-276/2019-20 दिनांक 03-02-2020 से उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में पूर्णरूप से प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या-6 एवं आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप सं0-1, 2, 3, 4 व 5 के संबंध में शासन के पत्र दि0 12-02-2020 से अपचारी अधिकारी श्री चन्द्रवीर, तत्का0 सहायक अभियंता, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति प्रखण्ड-प्रतापगढ से अभ्यावेदन मॉगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 09.06.2020 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कुल 06 आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरांत पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री चन्द्रवीर के विरूद्ध अधिरोपित आरोप जिसे जॉच अधिकारी ने शासनादेश दिनांक 14.07.2009 के अनुसार परिलक्षित शासकीय क्षति को सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत पाते हुये शासकीय क्षति हेतु उत्तरदायी नही पाया, किन्तु जॉच अधिकारी ने श्री चन्द्रवीर को पर्यवेक्षणीय दायित्वो का समुचित निर्वहन न करने एवं शासन द्वारा प्रतिपादित नियमों का उल्लंघन व मनमानी कार्य प्रणाली हेतु उत्तरदायी पाया गया है। अत: श्री चन्द्रवीर, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति प्रखण्ड-प्रतापगढ के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1624/92-2-2019-50जांच/2017 दिनांक 23-07-2019 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में

उन्हें निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"श्री चन्द्रवीर, तत्का0 सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति प्रखण्ड-प्रतापगढ द्वारा निर्माण कार्यो में पर्यवेक्षणीय दायित्वो का समुचित निर्वहन न करने एवं शासन द्वारा प्रतिपादित नियमों का उल्लंघन व मनमानी कार्य प्रणाली हेतु की गयी लापरवाही के लिये उन्हें परिनिन्दित किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-32/2021/2431(1)/92-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- श्री चन्द्रवीर, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति प्रखण्ड-प्रतापगढ द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।